विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में संचार मंत्रालय (एम ओ सी) और इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) तथा इन मंत्रालयों के अन्तर्गत विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं। इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय I लेखापरीक्षित संस्था की रूपरेखा, व्यय का विश्लेषण, मंत्रालय/विभागों का वित्तीय निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही का वर्णन करता है। अध्याय II, III और IV क्रमश: एम ओ सी के अन्तर्गत डाक विभाग, एम ई आई टी वाई तथा इन मंत्रालयों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा से उद्भूत लेखापरीक्षा निष्कर्षों/प्रेक्षणों से संबंधित हैं।

प्रतिवेदन में से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

अध्याय- II संचार मंत्रालय - डाक विभाग (डी ओ पी)

डी ओ पी में मेल मोटर सेवा की कार्यपद्धति - अनुवर्ती लेखापरीक्षा

मेल मोटर सर्विस (एम एम एस) की कार्य पद्धति पर वर्ष 2003 के प्रतिवेदन संख्या 2 के पैरा 3.1 ने इंगित किया था कि दैनिक दूरी तय करने तथा परिनियोजन, कंडम वाहनों का गैर-निस्तारण इत्यादि के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। मंत्रालय ने अपने कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) में कहा था कि दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए समुचित अनुदेश जारी किए गये थे। ए टी एन में आश्वासन दिए जाने के उपरान्त भी अनियमितताएँ अभी भी जारी थीं जो यह बताती हैं कि उपचारात्मक और सुधारात्मक उपायों को पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। दैनिक दूरी तय करने तथा परिनियोजन, ईंधन खपत को नियंत्रित करने वाले मानकों की अनुपस्थिति, समय पर बदली न होने के कारण कंडम वाहनों की लगातार तैनाती, प्रोफार्मा लेखों के रखरखाव में चूक एवं कमियां इत्यादि घटनाओं की पुनरावृत्ति होने के दृष्टांत थे। इसके अतिरिक्त, एम एम एस वाहनों में स्थापित करने के लिए खरीदे गए 795 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस) में से 457 उपकरण कार्य नहीं कर रहे थे।

(पैराग्राफ 2.1)

निधियों को अनियमित रूप से रखने के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

निदेशक लेखा (डाक), कटक ने सरकारी धन के प्रेषण में विलम्ब के लिये भारतीय स्टेट बैंक से ₹ 64.07 करोड़ का दावा नहीं किया। इसके अतिरिक्त, ₹ 485.61 करोड़ को आर बी आई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खोले गये एक चालू खाते में अनियमित ढंग से रखा रहने दिया गया।

(पैराग्राफ 2.2)

अपंजीकृत समाचारपत्रों पर राजस्व की हानि

डी ओ पी द्वारा अप्रैल 2013 में आश्वासन दिये जाने के बाद भी भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक से पंजीकृत नहीं हुये समाचारपत्रों को अनियमित ढंग से रियायती टैरिफ का उपभोग करने दिया गया जिसके परिणामस्वरूप चार डाक परिमण्डलों यथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में ₹ 2.45 करोड़ के राजस्व की हानि हुयी।

(पैराग्राफ 2.3)

अध्याय-III इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

निधियों का अवरोधन एवं विदेशी मुद्रा का निष्फल निर्गम

केरल मेडिकल सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं जिओ स्पेटियल दिल्ली लिमिटेड को ₹ 53.91 करोड़ की सहायता अनुदान जारी करते समय सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न होने के साथ परियोजनाओं का अपर्याप्त अनुश्रवण होने के परिणामस्वरूप परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब, निधियों का अवरोधन तथा ब्याज एवं प्रतिबद्धता फीस के मद में ₹ 2.62 करोड़ का निष्फल विदेशी मुद्रा का निर्गम हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

अध्याय -IV मंत्रालयों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

संचार मंत्रालय

भारत संचार निगम लिमिटेड में वायरलाइन ब्रॉडबैण्ड सेवाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कम्पनी, अपनी वायरलाइन ब्रॉडबैण्ड क्षमता के 50 प्रतिशत के अप्रयुक्त रहने के बावजूद, क्षमता के अवांछित संवर्धन में प्रविष्ट हुयी। खरीद में, समयबद्ध ढंग से आपूर्तियों को सुनिश्चित न करने, विक्रेताओं को अनुचित अनुग्रह दिये जाने आदि के दृष्टांत थे। सेवाओं की गुणवत्ता (क्यू ओ एस) पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) मानदण्डों के अनुपालन के सम्बन्ध में कम्पनी की ओर से और अधिक सुधार की गुंजाइश थी। ब्रॉडबैण्ड सेवाओं की गुणवत्ता को बाधित करने वाले, ब्रॉडबैण्ड उपकरणों के अनुरक्षण से सम्बन्धित मामले, जैसे कि वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (ए एम सी) किये जाने में विलम्ब, चूककर्ता विक्रेताओं पर शास्ति का अनारोपण आदि, मामले भी देखे गये। इस तथ्य के बावजूद कि ब्रॉडबैण्ड एक विशिष्ट खण्ड है, कम्पनी ने ब्रॉडबैण्ड सेवाओं के प्रोत्साहन एवं विपणन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित नहीं किया। सर्वेक्षण के माध्यम से अत्यधिक विच्छेदनों के कारणों की पहचान करने के बावजूद, कम्पनी कारणों को सम्बोधित करने एवं और अधिक विच्छेदनों को रोकने में विफल रही। यह दर्शाने के भी संकेत थे कि टैरिफ योजना उपभोक्ता व्यवहार और कम्पनी के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी जिसके कारण न केवल मौजूदा उपभोक्ताओं का गैर-अवधारण हुआ बल्कि मौजूदा उपभोक्ता आधार का गैर-विस्तार भी हुआ। विविध सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों एवं विद्यालयों में ब्रॉडबैण्ड संयोजन प्रदान करने के सामाजिक उद्देश्य भी पूरे नहीं हुये।

(पैराग्राफ 4.1)

इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

किराये पर लिये गये परिसर एवं आन्तरिक साज-सज्जा पर ₹ 15.54 करोड़ का निष्फल व्यय

यथोचित प्रक्रिया का पालन किये बिना कार्य को देने एवं बाद में इसके निरस्तीकरण, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डी एम आर सी) को अभिन्यास योजना देने में विलम्ब एवं डी एम आर सी द्वारा अभिन्यास योजना की अनुमति में विलम्ब के कारण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा इंक. द्वारा किराये पर लिये गये परिसर का लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, दिसम्बर 2016 तक किराये के भुगतान पर किया गया ₹ 15.54 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(पैराग्राफ 4.4)